



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18022026-270282
CG-DL-E-18022026-270282

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 817]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 17, 2026/माघ 28, 1947

No. 817]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 17, 2026/MAGHA 28, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2026

का.आ. 857(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 6068 (E) तारीख 29/12/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में NH227A के कि.मी. 90 से कि.मी.128.87 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 07 जनवरी 2026 को "हिन्दुस्तान (हिन्दी)" और "द टाइम्स ऑफ़ इंडिया (अंग्रेजी)" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटारा किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्टें प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में NH227A के कि.मी. 90 से कि.मी.128.87 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: गोरखपुर (148)		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: गोला (954)					
गांव का नाम: देईडीहा तप्पा-चांदपार					
1	101	सामान्य	परती / कृषि	0.0096	उर्मिला देवी / राजकुमार, मीना / रामलवट ,अम्बरीष / दयानन्द, आलोक / दयानन्द, सरकारी
2	102	सरकारी	आबादी	0.0048	सरकारी
3	120	सरकारी	आबादी	0.075	सरकारी
4	177	सरकारी	आबादी	0.178	सरकारी
5	178	सरकारी	आबादी	1.238	सरकारी
6	187	निजी	आबादी	0.01	दिनेश कुमार दत्तक / तकसीम राय , शारदा प्रसाद राय / स्व0 रामहजूर राय, शारदा राय / स्व. रामहजूर , श्रीमती गुलाबी / राजनाथ ,
7	198	सरकारी	आबादी	0.0244	सरकारी
8	223	सरकारी	आबादी	0.0192	सरकारी
9	224	सरकारी	बंजर / आबादी	0.0275	सरकारी
10	234	सरकारी	आबादी	0.0168	सरकारी
11	96	सरकारी	सड़क	0.024	सरकारी
Total			1.6273		

[फा. सं. NH-227A-LA- 2020-21/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2026

S.O. 857(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **6068 (E) Dated:29/12/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), Maintenance, management and operation of NH227A in the stretch of land from Km. 90 to Km. 128.87 in the district of GORAKHPUR in the state of UTTAR PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in "**Hindustan**" and "**The Times of India**" on Dated "**07 January 2026**"; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH227A in the stretch of land from Km. 90 to Km. 128.87 in the district of GORAKHPUR in the state of UTTAR PRADESH

State: UTTAR PRADESH			District: GORAKHPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Gola					
Village: Deideeha Tappa-Chandpar					
1	101	Common	Parti / Agriculture	0.0096	Urmila Devi / Rajkumar, Meena / Ramlawat, Ambarish / Dayanand, Alok / Dayanand, Govt
2	102	Government	Abadi	0.0048	GovernmentÂ
3	120	Government	Abadi	0.075	GovernmentÂ
4	177	Government	Road	0.178	GovernmentÂ
5	178	Government	Road	1.238	GovernmentÂ
6	187	Private	Abadi	0.01	Dinesh Kumar Dattak / Takseem Rai, Sharda Prasad Rai / Late Ramhazoor Rai,

					Sharda Rai / Late Ramhazoor, Mrs. Gulabi / Rajnath ,
7	198	Government	Abadi	0.0244	GovernmentÂ
8	223	Government	Abadi	0.0192	GovernmentÂ
9	224	Government	Banjar / Abadi	0.0275	GovernmentÂ
10	234	Government	Abadi	0.0168	GovernmentÂ
11	96	Government	Road	0.024	GovernmentÂ
Total				1.6273	

[F. No. NH-227A-LA- 2020-21/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director